XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निगरानी 53–दो/09 जिला – भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको आदि के हस्ताक्षर
15/5/15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 6/2006–07/विविध में पारित आदेश दिनांक 17–10–08 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 15–9–06 को सुनवाई हेतु नियत थी । किंतु उक्त दिनांक को आवेदक की ओर से कोई उपस्थित न होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में आदेश 41 नियम 17 सी.पी.सी. के तहत आवेदन प्रस्तुत किया जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त किया है । अपर आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि आवेदक ने पुर्नस्थापना आवेदन के संबंध में चिकित्सा प्रमाण पत्र पेश किया था जिस पर बिना विचार किये अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित किया है । यह भी कहा गया कि पुर्नस्थापना के मामले में न्यायालय को उदार रूख अपनाना चाहिए जैसाकि माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मंडल ने अनेक प्रकरणों में व्यवस्था दी है । उक्त आधार पर उनके द्वारा यह अपील स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय में आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील पुर्नस्थापित कर सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है । 4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ	

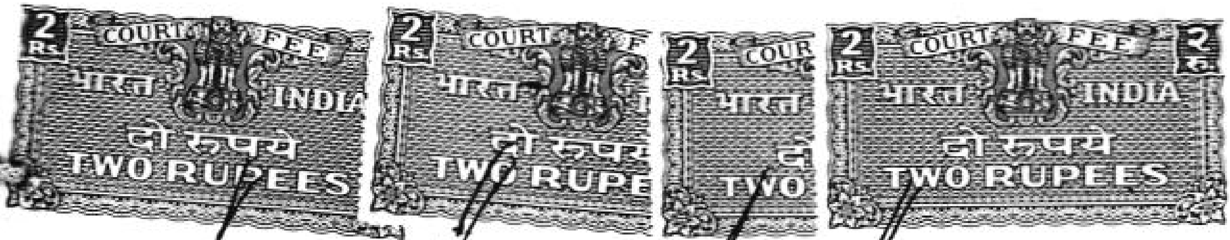

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

R 53-III/09

प्रकरण क्रमांक /2007-2008 अ०मा०

श्री संजीव श्रीवास्तव
द्वारा आज दि० 13-1-09 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

1:-फूलजी अग्रवाल पुत्र शिवचरन अग्रवाल

2:-रमेशकुमार वल्लपुत्र फूलचन्द्र अग्रवाल

3:- विवेककुमार पुत्र फूलचन्द्र अग्रवाल

4:-अशोककुमार पुत्र शिवचरनलाल अग्रवाल

समस्त निवासीगण चौरगली भिण्ड म०प्र०

— अपीलार्थीगण

बनाम

1:-म०प्र०शासन जरिये कलेक्टर भिण्ड म०प्र०

2:-मुख्य नगर पालिका अधिकारी भिण्ड म०प्र०

3:-सहायक यंत्री लोक निर्माण विभाग भिण्ड म०प्र०

— रिस्पो० य

K
13-1-09

(अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 17-10-2008)
न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना प्र०क्र०
6/2006-2007 विविध अन्तर्गत धारा 35(4)
एवं सहपठित धारा 44 म०प्र०भू०रा०सं०.

-=-

श्रीमानजी,

अपीलार्थीगण की अपील निम्नांकित सादर प्रस्तुत है-

/// प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य ///

विधान